लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ – पौड़ी गढ़वाल** के अवधि 04/2012 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर.एन. यादव, व श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 24-05-2016 से 28-05-2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ – पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 04/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यता जांच की गयी।

2. लेखापरीक्षा अवधि तक निम्नलिखित कार्यालयाध्यक्ष नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री सतीशचन्द्र अकेला 28.07.10 से 31.12.11
2॰ श्री आर॰के॰ बाटला 01.01.12 से 5.12.13
3. श्री के॰ के॰ कोटियाल 6.12.13 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र0सं0	**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**	
		भाग दो 'अ'	**भाग दो 'ब'**
शून्य			

4. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

5. सतत अनियमिततायें:- कैशबुक, पासबुक आदि का उचित रखरखाव न होने से वित्तीय अनियमितता

6. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	कुल आवंटन		कुल व्यय	
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
1.	2012-13	133.97	16.89	122.19	14.61
2.	2013-14	161.41	8.48	136.73	8.28
3.	2014-15	163.25	7.12	142.87	5.13
4.	2015-16	155.00	9.97	153.98	9.95
5.	2016-17 (अप्रैल 2016 तक)	62.14	3.10	22.07	0.00

भाग 2 'अ'

प्रस्तर -1 ` 38.76 लाख का अनियमित आहरण व वित्तीय अनियमितता।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ (पोड़ी गढ़०)(कृ० भू० स० अ० पा०) की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय को आहरण वितरण का प्राधिकार प्राप्त होने से पूर्व से एक बचत खाता कार्यालय के लेने-देनो के संचालन के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पाबौ शाखा मे संचालित किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि तत्कालीन कैशियर के पास कार्यालय के भण्डार व स्थापना का भी कार्यभार था। उक्त कैशियर द्वारा वर्ष 2011 से न तो कैशबुक और अन्य रिकार्डस पूर्ण किये गये थे और ना ही उन्हे समय-समय पर आहरण-वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जा रहा था। उक्त कैशियर द्वारा वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि में अनियमित तरीके से उक्त बैंक खाते से नियमित अन्तराल पर धन का आहरण किया जा रहा था। मुख्य कृषि अधिकारी (मु,कृ.अ.) पौड़ी द्वारा पत्र सं. 1372 दिनांक 07/10/2015 व 1465 दिनांक 26.10.2015 द्वारा कृ. भू. स. अ. पाबौ को संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने हेतु निर्देश दिया गया था।

कृ.भू.स.अ. द्वारा तत्पश्चात मु.कृ.अ. को उक्त अवधि के समस्त लेनदेनों को विस्तृत जांच कराने हेतु पत्र लिखा गया था (दिनांक 30.10.2015)

मुख्य कृ.अ. पौड़ी की जांच के पश्चात कृषि निदेशक उत्तराखण्ड द्वारा गठित जांच समिति की जांच में पाया गया किः (1) कार्यालय की रोकड़ बही का लेखा पद्धति के अनुसार उचित रखरखाव नहीं किया गया था। (2) तत्कालीन कैशियर के नाम से आहरित चैक की धनराशि `4162051 को कैशबुक के प्रति पक्ष मे इन्द्राज नहीं किया गया।

(3) कार्यालय की D-2 (रसीद बुक) से तत्कालीन कैशियर को प्राप्त `360611 की धनराशि मे से `220649 को खाते मे जमा किया गया था, शेष `139962 को जमा नहीं किया गया अथवा भुगतान का साक्ष्य नहीं पाया गया।

(4) जांच समिति व्यय कुल `3875774 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी।

लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि उक्त अवधि मे कार्यालय मे एक ही खाते की अनेकों चैकबुक प्रयुक्त हो रही थी जिनका कि कोई विवरण वर्तमान तक कार्यालय को प्राप्त नहीं है। कैशबुक वर्तमान तक भी उचित प्रारूप मे हस्त पुस्तिका VOL-5 के प्रस्तर 27-A के अनुसार नहीं बनाई जा रही है। उक्त अवधि की चैक निर्गत पंजिका के अवलोकन से पता चलता है कि चैक क्रमानुसार नहीं काटे गए थे तथा पंजिका की प्रविष्टिया मे काट-छाँट व हेराफेरी की गयी थी। कुल निर्गत चैक व भुगतान हो गए चैकों का मिलान भी नहीं किया जा रहा था।

इस सम्बंध मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि तत्कालीन कैशियर को बार-बार कैशबुक , पासबुक आदि अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा अनियमितता प्रकाश मे आने पर ही मु० कृ० अ० पौड़ी को अवगत कराया गया। तत्कालीन कैशियर का दिनाक 30.11.2015 को आकस्मिक निधन हो गया था । वर्तमान मे समय-समय पर पासबुक मे इन्द्राज किया जा रहा है तथा निर्गत व भुगतान किए गए बैंको का मिलान किया जा रहा है।

कार्यालय के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त अवधि मे कार्यालय कि कैशबुक, पासबुक आदि का रखरखाव नहीं किया जा रहा था तथा लेनदेन का उचित नियंत्रण नहीं किया जा रहा था जिसके कारण `3875774 की वित्तीय अनियमितता का प्रकरण घटित हुआ किसके कारण राजकीय धन की हानि हुई।

अत: आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण हुए राजकीय धन के अनियमितता आहरण का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है.

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ –पौड़ी गढ़वाल** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II